ब्रिटिश भारत में प्रान्तों का गठन और उत्तरदायी शासन का प्रारम्भः एक ऐतिहासिक विश्लेषण

*डॉ. मोहम्मद कामरान खान

भारतीय राजनीति व्यवस्था में राज्य ही राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के मुख्य प्रस्तर या नींव हैं। राज्यों की नींव पर ही संघीय सरकार टिकी हुई हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन का झुकाव संघ की तरफ है लेकिन फिर भी राज्यों की भूमिका को कम नही आंका जा सकता। मायनर वीनर के अनुसार भारतीय संघ के घटक राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक सदस्य राज्यों से विशाल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पं. बंगाल एवं तमिलनाडु जैसे राज्य तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका महाद्वीप के अनेक स्वतन्त्र सम्प्रभु राज्यों (जो कि संयुक्त राष्ट्र के भी सदस्य है) से भी अधिक विशाल है। इन राज्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भौगोलिक विविधता, जनसंख्या की अधिकता, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना कुछ ऐसी है कि प्रत्येक राज्य स्वयं में एक पृथक राजनीतिक व्यवस्था हैं।[1]

वर्तमान में सम्पूर्ण भारत का एक ही सांविधानिक ढांचा, लक्ष्य और भविष्य हैं परन्तु सदियो तक सम्पूर्ण भारत एक ही राजनीतिक इकाई के रूप नही रहा। इतिहास के आरम्भिक वर्षो में एक भारतीय समाज और संस्कृति का विकास तो हुआ परन्तु इस समाज के लिए एक ही राजनीतिक व्यवस्था और केन्द्रीय शासन का निर्माण नही हुआ। संस्कृति और जातिप्रथा के आधार पर भारतीयों में एक ही समाज के प्राणी होने की भावना तो थी परन्तु एक राज्य के नागरिक होने की भावना उनमें नहीं थी। एक समाज, एक राष्ट्र और एक राज्य का अस्तित्व 1947 से ही प्रारम्भ होता हैं।[2]

भारत पर लम्बी अवधि तक जो विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े उन्हीं से उसके वर्तमान राजनीतिक रूप की रचना हुई इनमें से तीन बातें प्रमुख हैं एक हैं हिन्दू समाज जो भारतीय जीवन की आधारशिला है। दूसरा अंग्रेजी राज जिसकी कानून व्यवस्था हमारे देश को केन्द्रीय सत्ता के अधीन ले आयी। यह नही इसने हमारी विचारधारा और पद्धति पर गहरा प्रभाव डाला हैं। तीसरा है स्वतन्त्रता से पहले का रचनात्मक राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति और समाज सुधार था।[3]

राज्य राजनीति पर राज्यों की आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश का ही प्रभाव नही पड़ा ब्लकि स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात् राज्यों के गठन की प्रक्रिया तथा स्वतन्त्रता से पूर्व हुए भारतीय संघवाद और उत्तरदायी शासन प्रणाली के विकास का भी असर पडा है।

संविधान में संघ के जिन घटक इकाईयों को राज्य कहकर सम्बोधित किया गया हैं उन्हें पूर्व में प्रान्त कहा जाता था। ब्रिटिश शासन काल में इन प्रान्तो का ही पहले निर्माण हुआ न कि केन्द्रीय शासन का। तीन प्रेसिडेन्सियों

बंगाल, बम्बई और मद्रास के निर्माण में वर्षो बाद सन् 1773 ई. से केन्द्रीय शासन अस्तित्व में आया। सन् 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रान्त का गठन हुआ। सन् 1849 ई. पंजाब, 1856 ई. अवध, 1861 ई. में मध्य प्रान्त ; 1901 में संयुक्त प्रान्त, 1912 ई. में बिहार 1936 मे सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इन बारह गर्वनरो के प्रान्त के अतिरिक्त 6 चीफ कमिश्नर के प्रान्त भी थे। इसमें ब्रिटीश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ : कुर्ग, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा सन्त पिपलोदा के नाम से जाना जाता था।

1858 से पूर्व भारत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन था। यह एक व्यापारिक कम्पनी थी जिसने व्यापार के उद्देश्य से भारत में पैर जमाए परन्तु धीरे–धीरे वास्तविक शासन करने लगी। कम्पनी के कार्यो पर नियन्त्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1772 में रेगूलेटिग एक्ट लाया गया। 1784 में पिट्रस एक्ट तथा इसी तरह 1793, 1813, 1833 और 1853 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से कम्पनी के कार्यो पर नियन्त्रण रखा गया। सन् 1857 में क्रान्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप समूची व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण मोड़ आया।

शासन की सत्ता को ईस्ट इण्डिया कम्पनी से छीन लिया गया और भारत में सीधे ब्रिटिश शासन प्रारम्भ हुआ।

1858 के अधिनियम ने भारत सचिव पद की सृष्टि कर समस्त आर्थिक, विधायी, तथा प्रशासनिक शक्तियों का उसमें केन्द्रीयकरण कर दिया। भारत सचिव के नीचे भारत में शासन व्यवस्था के शिखर पर गर्वनर जरनल तथा उसकी परिषद् थी। देशी राज्यों के साथ सम्बन्धों के सिलसिले में गवर्नर जरनल वायसराय कहलाने लगा।

गर्वनर जरनल में बाद गवर्नर, लेफ्टिनेंट गर्वनर और चीफ कमिश्नर आते हो और अंत में कलक्टर और डिप्टी कलेक्टर। इस व्यवस्था में कहीं भी शक्तियों का बंटवारा नहीं था वरन् एक श्रेणीबद्ध ढांचा विद्यमान था जो पूर्णत केन्द्रीयकृत था।

भारतीय संघवाद इसकी संवैधानिक प्रक्रिया की उपज हैं जिसमें एक केन्द्रीयकृत राज्य व्यवस्था को धीर–धीरे विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। भारत में आधुनिक संघवाद का सूत्रपात 1861 में होता हैं और लगभग नौ दशाब्दियों तक यह विकास यात्रा चलती रहती हैं। इस संघात्मक विकास की संवैधानिक यात्रा के दौरान सन् 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा संघ व्यवस्था का जो ढाँचा प्रस्तुत किया गया था उनके श्रेष्ठतम अंशों को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने आत्मसात कर लिया और उसे भारत के नये संविधान का अभिन्न अंग बना दिया।[4]

ब्रिटिश शासन काल में भारत में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था तथा साम्राज्यवादी सत्ता का विस्तार हुआ परन्तु इस शासन में भारत का एक बहुत बड़ा भाग सीधे अंग्रेजी शासन व्यवस्था में सम्मिलित नहीं था। देश में एक तिहाई भाग में भारतीय राजाओं का शासन था। गिनती में 600 रियासतें थी जिनमें कानून, प्रशासनिक ढांचा तथा राजनीतिक संस्थाऐं अलग–अलग प्रकार की थी। जो सीधे अंग्रेजी सत्ता के अधीन थे वहां एक सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हुआ साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक सुधार भी हुए। सीमित रूप में ही सही इन क्षेत्रों में प्रतिनिधि शासन का निर्माण हो रहा था। साम्राज्यवादी सत्ता आधुनिकीकरण तथा शिक्षा के विकास के कारण इन क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता तथा आधुनिक विचारो के प्रति आकर्षर्ण उत्पन्न हो रहे थे फलस्वरूप राष्ट्रवादी राजनीति और आन्दोलन का विकास हो रहा था परन्तु भारतीय रियासतों में यह न के बराबर था।

1861 के अधिनियम द्वारा मद्रास तथा बम्बई की परिषद्दो की विधायी शक्तियां ला दी गयी। जो 1833 के अधिनियम में उनसे छीन ली गई थी। तथा शेष प्रान्तों में नई परिषद् स्थापित करने की अनुमति दे दी गई पायली के शब्दों में 1861 का अधिनियम बीसवीं शताब्दी में भारतीय व्यवस्थापिका का प्रथम चार्टर था।[5]

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अपनी स्थापना के साथ ही कांग्रेस ने संवैधानिक सुधार की माँग की, साथ ही परिषदों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियात्मक स्वरूप और सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की मांग को जोर शोर से उठाया। यद्यपि कांग्रेस की इन मांगों को 1905 के बंगाल विभाजन से गहरा आघात पहुँचा।

1911 में ब्रिटिश शासन ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया तथा असम को भी एक पृथक प्रान्त बना दिया।

1909 के मार्ल मिण्टो सुधार अधिनियम में प्रान्तीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। प्रान्तीय विधान परिषदो को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न करने और मत देने के अधिकार मिले। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रारम्भ किया गया।

1919 का भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रान्तीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण था भारतीय संघात्मक व्यवस्था के निर्माण का प्रथम चरण था। प्रशासन के विषयों तथा आय की मदों को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों में विभक्त किया गया। विभाजन का आधार यह था कि जिन विषयों में एक से अधिक प्रान्तों के हितों की प्रधानता होती हैं उन्हें केन्द्रीय विषय माना जाएगा और जिन विषयों में किसी विशेष प्रान्त के हित निहित थे उन्हें प्रान्तीय विषय माना जाएगा।

1921 के प्रथम आम निर्वाचन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया परन्तु आगे चलकर 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल के रूप में एक अलग समूह के तौर पर चुनाव में भाग लिया। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास तथा मोती लाल नेहरू सचिव थे। इस चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 101 निर्वाचित स्थानों पर स्वराजियों को 42 पर सफलता मिली। मध्य प्रान्त में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में इन्हें अच्छी सफलता मिली।

प्रान्तीय विधान परिषदों का संगठन

क्रं.सं.	प्रान्त	न्यूनतम स्थान
1.	बम्बई	111
2.	मद्रास	118
3.	बंगाल	125
4.	संयुक्त प्रान्त	118
5.	पंजाब	83
6.	बिहार व उड़ीसा	92
7.	मध्य प्रान्त	70
8	आसाम	53

*1932 में उ.प. सीमा प्रान्त बना जिसकी विधान परिषद में 39 निर्वाचित तत्व 16 मनोनीत सदस्य थे।

1935 के अधिनियम में पहली बार व्यावहारिक रूप से ऐसी संघात्मक व्यवस्था की योजना रखी गयी जिसमें ब्रिटिश भारत के गवर्नर वाले प्रान्त ही नहीं मुख्य आयुक्त वाले प्रान्त तथा देशी रियासतें भी सम्मिलित थी।

1935 के अधिनियम के अनुसार संघ का निर्माण करने के लिए एक साथ दो काम किये जाने थे प्रथम ब्रिटिश भारत में चल रहे शासन की इकाई को तोड़कर उन्हें स्वायत्तता प्राप्त प्रान्तों में विभाजित करना था। द्वितीय उन्हें संघीय आधार पर जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी थी जिसमें ब्रिटिश भारत के अलावा देशी रियासतें भी सम्मिलित हो। इस संघ का निर्माण एक शर्त पर निर्भर था कि जब देशी रियासतें भी इसमें सम्मिलित हो। देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के लिए सहमत न हो पाने के कारण प्रस्तावित संघ की स्थापना से संबंधित घोषणा नहीं हो सकी।

अधिनियम में संघीय प्रशासन को सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। सुरक्षित विषयों का का प्रशासन गर्वनर जरनल अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित मंत्री के माध्यम से करता हैं।

1935 के अधिनियम में शक्ति विभाजन को स्वीकार किया गया। केन्द्रीय विषयों का केन्द्रीय तथा प्रान्तीय में बांटा गया। संघीय या केन्द्रीय सूची में 59 विषय थे। जबकि प्रान्तीय विषय में 54 विषय थे। एक समवर्ती सूची की व्यवस्था भी की गयी तथा अवशिष्ट विषय गवर्नर जरनल के संरक्षण में रखे गये। अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई । जिसको प्रान्तों के सवैधानिक विषयों में निपटारे तथा संविधान की व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अधिकार दिया गया। अधिनियम में प्रान्तों को स्वायत्तता और पृथक विधिक पहचान दिये गये। साथ ही स्वतन्त्र आर्थिक शक्तियां और संसाधन भी दिए गये। अब प्रान्त प्रत्यक्ष तौर पर राज के अधीन आ गये।

प्रान्तीय विधानमण्डलों का आकार और रचना विभिन्न प्रान्तों में भिन्न–भिन्न थी। अधिकांश प्रान्तों में एक सदनीय व्यवस्था तथा कुछ प्रान्तों में द्विसदनीय। द्विसदनीय व्यवस्था में उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा थी। मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार और असम की विधान सभाएं द्विसदनीय थी। अन्य पाँच प्रान्तों में एक सदनीय थी। प्रान्तीय विधानसभा का गठन प्रत्येक प्रान्त में भिन्न तरीके से किया गया था। पृथक निर्वाचन पद्वति विद्यमान थी। सामान्य सीटों में काफी संख्या में सीटे आयी।

प्रान्तीय विधानसभाएं

क्रं.सं.	प्रान्त	कुल स्थान
1.	मद्रास	215
2.	बम्बई	175
3.	बंगाल	250
4.	स. प्रान्त	228
5.	पंजाब	175
6.	बिहार	152
7.	सी.पी. व बरार	112
8.	आसाम	108
9.	उ.प. सीमा प्रान्त	50
10.	उड़ीसा	60
11.	सिन्ध	60

प्रान्तीय विधान परिषदें

क्रं.सं.	प्रदेश	कुल स्थान	
		न्यून्तम	अधिकतम
1.	मद्रास	54	56
2.	बम्बई	54	56
3.	बंगाल	63	65
4.	स. प्रान्त	58	60
5.	बिहार	29	30
6.	आसाम	21	22

1936–37 में आम चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया इसने मद्रास बिहार संयुक्त प्रान्त उड़ीसा, बम्बई तथा मध्य प्रान्त में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। आसाम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तों में सर्वाधिक मत प्राप्त किये। कांग्रेस ने 6 प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल का गठन किया तथा दो प्रान्तों में मिला जुला मन्त्रिमण्डल बना। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सत्ता में आयी बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी आस्तित्व मे आयीं

प्रान्तों में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों के कार्यो ने भारत में संवैधानिक इतिहास में पहली बार विस्तृत स्तर पर संसदीय शासन का क्रियान्वयन प्रस्तुत किया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के युद्ध में अधिकाधिक समर्थन और संवैधानिक प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन और उसके पश्चात केबिनेट मिशन भेजा।

क्रिप्स मिशन ने भारत के डोमिनियन दर्ज के स्थान एक भारतीय संघ की स्थापना की बात कही। वही द्वितीय युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान निर्माव्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रान्तों को स्वीकार नहीं होगा वह उससे अलग हो सकते हैं। क्रिप्स के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया।

सत्ता हस्तातरण की समस्या को सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टफैड क्रिप्स, ए.पी. एलेक्जेंडर के रूप में केबिनेट मिशन भेजा गया। जिसने अपनी सिफारिश में भारत से एक संघ की स्थापना का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें विदेश, रक्षा और संचार संघ के कार्य होगें। प्रान्तों को अ, ब, स समूह में विभाजित किया गया जिसमें (अ) छह हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्त मद्रास, बम्बई, मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, बिहार, व उड़ीसा (ब) में उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त, पंजाब, सिंध समूह थे तथा (स) में बंगाल व आसाम सम्मिलित थे। एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें 389 सदस्य होगें जिसमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों से 4 मुख्य आयुक्तों चुने जाएगे तथा 93 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किये जायेगे।

केबिनेट मिशन की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया परन्तु सत्ता हस्तांतरण अन्तरिम सरकार के गठन का मुद्दा उलझा रहा। आगे चलकर नये वायसराय लार्ड माउण्टबेटन ने माउण्टबेटन प्लान रखा जिसमें भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन मे बांट देने की बात की गई। जिसमें दो संविधान सभाएं होगी मुस्लिम बहुल ब्रिटिश प्रान्त पाकिस्तान का हिस्सा होगें तथा हिन्दू बहुल ब्रिटिश प्रान्त भारत का। असम और बंगाल और पंजाब का विभाजन स्वीकार किया गया क्योंकि वहां पर हिन्दू और मुस्लिम आबादी बराबर थी। देशी रियासत को भारत या पाकिस्तान में से एक को चुनना था। माउण्टबेटन प्रस्ताव को भारत स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 में कानूनी स्वीकृति मिली।

इस प्रकार स्वाधीनता के पश्चात् के समय भारत में व गर्वनरों के प्रान्त मद्रास, बम्बई, पं. बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रान्त व बिहार, असम व उड़ीसा तथा पांच कमीश्नरों के प्रान्त दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, पन्त, पिपलोद, दुर्ग तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह थे देशी रियासतों में सिर्फ कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बनी, बाद में यह तीनों रियासतें भारत में शामिल हुई।

जब एक बार सभी रियासतें भारतीय संघ में प्रविष्ट हो गई तो रियासती मन्त्रालय ने विभिन्न इकाइयों में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण के कदम उठाये जिसमें की सम्पूर्ण भारत में एक ही प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके रियासतों के एकीकरण के इस कार्य को तीन प्रकार से पूर्ण किया गया प्रथम अधिकांश छोटी रियासतों का पड़ोसी प्रान्तों में विलय द्वितीय छोटी तथा एक दूसरे की समीप स्थित रियासतों में समूहीकरण से उत्पन्न समूहो को भारतीय संघ की इकाइया बना कर तृतीय बड़ी रियासतों की सीधे संघ सरकार की इकाइयां बनाई।[6]

संविधान प्रारम्भ होने के दौरान प्रान्तों को अ, क, ख, ग और घ श्रेणी में बांटा गया।

(क) वर्ग में राज्य पूर्वकालीन ब्रिटिश भारत के प्रान्त थे तथा भारतीय संघ के पूर्ण सदस्य थे।

(ख) वर्ग के नौ राज्य रियासतों में एकीकरण का परिणाम थे। इनमें राज्यों को केन्द्र सरकार के निर्देश मानना पड़ता था तथा राज्यपाल के स्थान पर प्रान्त प्रमुख ही थे।

(ग) में दस राज्य थे इनका शासन प्रत्यक्ष रूप में केन्द्र में चलाया गया।

(घ) वर्ग में राज्य पूर्णत केन्द्र सरकार के अधीन थे।

सन् 1950 में राज्यों की संख्या और उसकी श्रेणी

क श्रेणी के राज्य	ख श्रेणी के राज्य	ग श्रेणी के राज्य	घ श्रेणी के राज्य
1. असम	1. हैदराबाद	1. अजमेर	1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
2. बिहार	2. जम्मू कश्मीर	2. भोपाल	
3. बम्बई	3. मध्य भारत	3. विलासपुर	
4. मध्य प्रदेश	4. मैसूर	4. कूच बिहार	
5. मद्रास	5. पटियाला	5. कुर्ग	
6. उड़ीसा	6. राजस्थान	6. दिल्ली	
7. पंजाब	7. सौराष्ट्र	7. हिमाचल प्रदेश	
8. संयुक्त प्रान्त	8. ट्रावनकोर–कोचीन	8. कच्छ	
9. प. बंगाल	9. विन्ध्यप्रदेश	9. मणिपुर	
		10. त्रिपुरा	

जब नये संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्मात्री सभा ने इस बात की मांग की कि प्रान्तों का भाषायी आधार पर पुर्नगठन किया जाना चाहिए। इस हेतु एस. के दर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया लेकिन इन आयोग ने भाषायी आधार पर प्रान्तों की स्थापना के विचार को नकार दिया। इसके बावजूद भाषावार

राज्यों के निर्माण की माँग जोर पकड़ती गयी। विशेषतः मद्रास प्रान्त में तेलुगू भाषी जिलों को अलग करके आंध्र प्रदेश की स्थापना के आन्दोलन ने उग्र रूप पकड़ा। पोट्टी रामुलू की आत्महत्या के पश्चात सरकार को भाषायी आधार पर तेलुगू भाषी आंध्रप्रदेश की स्थापना करनी पड़ी। भाषावार राज्यों की स्थापना की माँग के कारण सरकार ने दिसम्बर 1953 में राज्य पुर्नगठन आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली तथा डा. ह्रदयनाथ कुंजरू तथा सरदार के.एम. पणिक्कर सदस्य थे। इस आयोग ने भाषायी आधार पर प्रान्तों के निर्माण की माँग को स्वीकार किया। इस आयोग ने 16 राज्य तथा 3 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के निर्माण की सिफारिश की जो इस प्रकार थी राज्य मद्रास, केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, आन्ध्र, बम्बई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर केन्द्र प्रशासित प्रदेश दिल्ली, मणिपुर, अण्डमान व निकोबार

आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा सांतवा संशोधन किया गया जिसके तहत राजप्रमुखों के पद तथा राज्यों की 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' श्रेणियाँ समाप्त कर दी गयी तथा 14 राज्य व छह संघ प्रशासित क्षेत्र अस्तित्व में आए जिनकी संख्या अब बढ़कर 28 राज्य व 9 केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हो गयी हैं।

संविधान में ही यह व्यवस्था कर दी गई की संघ सरकार संसद के दोनो सदनों के सामान्य बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। स्पष्ट हैं कि भारतीय संघ में शक्ति का सन्तुलन संघ के पक्ष में हैं यद्यपि राज्य संवैधानिक इकाईयाँ हैं परन्तु संघ सरकार को उनके स्वरूप में परिवर्तन करने का पूर्णतः अधिकार हैं। यह धारा संघ को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीय स्वरूप प्रदान करती हैं तथा राज्य की भूमिका को राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में स्थापित करती हैं परन्तु हमें फिर भी यह नही भूलना चाहीए कि भारत में ब्रिटीश शासन के दौरान से ही राज्यों का गठन और उत्तरदायी शासन की संवैधानिक प्रक्रिया का एक शानदार इतिहास रहा है और इस इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से अटूट सम्बन्ध रहा है।

***सहायक प्रोफेसर**
राजनीति विज्ञान विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर (राज0)

सन्दर्भ

1. वीनर, मायनर 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया' (सम्पादित), प्रिसंटन यूनीर्वसिटी प्रेस, न्यूजर्सी 1968 पृष्ठ 3
2. नांरग, अमरजीत सिंह, भारत में राज्यों की राजनीति, भारतीय शासन एवं राजनीति (सम्पादित), हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987 मेरठ, पृष्ठ 250
3. कोठारी रजनी 'भारत में राजनीति', ओरियन्टल लागमैन, नई दिल्ली 1972 पृष्ठ 17
4. फडिया बी.एल. एवं फडिया मंजू, 'भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 1991, आगरा पृष्ठ 20
5. पायली एम वी, कान्सटीट्यूशनल गर्वमेन्ट इन इण्डिया, एस. चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली पृष्ठ 66
6. फड़िया बी ए एवं फडिया मंजू वही पृष्ठ 68